



वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता कार्यपालन अभियंता, (सिविल) संभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, रायगढ़ द्वारा रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल के ग्राम हाटी के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 551 के रकबा 6.823 हे. वन भूमि में 220/132/33 के.व्ही उपकेन्द्र निर्माण कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त के अनुशंसा से सहमत होते हुए वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 28/11/2022

स्थान: अरण्य भवन, नवा रायपुर


(संजय शुक्ला)

प्र.मु. (Sanjay Shukla) प्र.मु.
Principal Chief Conservator of Forests
Deptt. of Forest & Climate Change
Aranya Bhawan, Nawa Raipur (C.G.)



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/479-188/ 2754

रायपुर, दिनांक 29/11/2022

प्रति,

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

मंत्रालय महानदी भवन

नवा रायपुर, अटल नगर

विषय: - रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited द्वारा Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for 220/132 KV Sub - Station at Dharamjaigarh Village Hati, Area 6.823 ha.- reg.

- पंजीयन क्रमांक- FP/CG/Sub Station/ 145951/2021

संदर्भ: - मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक./ 2795 दिनांक 16.11.2022

-0-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा कार्यपालन अभियंता, (सिविल) संभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, रायगढ़ द्वारा रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल के ग्राम हाटी के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 551 के रकबा 6.823 हे. वन भूमि में 220/132/33 के.व्ही उपकेन्द्र निर्माण कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा निर्धारित भाग-3 में अनुशंसा उपरांत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

कार्यालय नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का 44 बिन्दु चेकलिस्ट अनुसार क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार है:-

बिन्दु क्रमांक -1 आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01 से 11 तक) - कार्यपालन अभियंता, (सिविल) संभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, रायगढ़ द्वारा रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल के ग्राम हाटी के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 551 के आवेदित रकबा 6.823 हे. वन भूमि में 220/132/33 के.व्ही उपकेन्द्र निर्माण कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु मांग किया गया है।

बिन्दु क्रमांक -2 प्रपत्र- I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 12 से 13 तक) - आवेदक विभाग के मांग अनुसार प्रकरण का ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक - FP/CG/Sub Station/ 145951/2021 दिनांक 16.08.2021 को आबंटित किया गया है। निर्धारित प्रपत्र में रजिस्ट्रेशन क्रमांक दर्ज किया गया है जो संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक -3 वनक्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 14 से 15 तक) - रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल के ग्राम हाटी के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 551 के आवेदित रकबा 6.823 हे. वन भूमि में 220/132/33 के.व्ही उपकेन्द्र निर्माण कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्तावित है।

बिन्दु क्रमांक -4 गैर वनक्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 16 एवं 17) - वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु गैर वन भूमि प्रस्तावित नहीं है।

बिन्दु क्रमांक -5 प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 18 से 20) – प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया की मूल टोपोशीट क्रमांक F44L3 पर व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि को चिह्नित कर संलग्न किया गया है। मानचित्र वन मंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वन मंडल द्वारा हस्ताक्षरित है।

बिन्दु क्रमांक -6 वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 21 से 29 तक) – वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र का इन्डेक्स मैप /वेजिटेशन मैप 1:50000 स्केल तथा 1:15000 स्केल के टोपोशीट मानचित्र में चिह्नित कर संलग्न किया गया है। मानचित्र पर वन मंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ एवं आवेदक संस्थान द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर किया गया है।

बिन्दु क्रमांक -7 प्रपत्र -4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 30 से 34 तक) – रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल के ग्राम हाटी के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 551 के आवेदित रकबा 6.823 हे. वन भूमि में 220/132/33 के.व्ही उपकेन्द्र निर्माण कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ वन मंडल द्वारा जारी प्रपत्र-4 प्रस्ताव में संलग्न है। प्रपत्र अनुसार उपकेन्द्र हेतु चयनित भूमि भौगोलिक, तकनीकी एवं पहुँच मार्ग की दृष्टि सर्वथा उपयुक्त है इस उपकेन्द्र के निर्माण से रायगढ़, जशपुर एवं सरगुजा क्षेत्र में निर्वाध रूप से विद्युत सप्लाई की जा सकेगी जिसमें लगभग 50000 आबादी लाभान्वित होंगे। प्रस्ताव अनुसार परियोजना की कुल लागत 50.00 करोड़ रुपये है। वन भूमि का हरियाली घनत्व 0.4 है। उपकेन्द्र स्थापना हेतु घटकवार निम्नानुसार भूमि की आवश्यकता है :-

क्र.	कार्य का मद	रकबा (हे. में)
1	220/132/33 के.व्ही यार्ड	5.18
2	नियंत्रण कक्ष	0.35
3	आंत्रिक पहुँच मार्ग	0.12
4	भण्डार गृह एवं अन्य	0.63
	योग	6.823

बिन्दु क्रमांक -8 प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 35 से 38 तक) – ग्राम हाटी के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 551 के आवेदित रकबा 6.823 हे. वन भूमि में 220/132/33 के.व्ही उपकेन्द्र निर्माण कार्य हेतु मांग की गई है। आवेदक संस्थान का कथन है कि उपकेन्द्र हेतु चयनित भूमि भौगोलिक, तकनीकी एवं पहुँच मार्ग की दृष्टि सर्वथा उपयुक्त है इस उपकेन्द्र के निर्माण से रायगढ़, जशपुर एवं सरगुजा क्षेत्र में निर्वाध रूप से विद्युत सप्लाई की जा सकेगी तथा इस क्षेत्र में बनने वाले भारी उद्योगों को भी विद्युत प्रदाय किया जा सकेगा। रायगढ़ व जशपुर क्षेत्र में पर्याप्त एवं लगातार विद्युत सप्लाई से उद्योगों के साथ कृषि को भी लाभ होगा जिससे समाज के सभी लोगों को पर्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक लाभ होगा।

बिन्दु क्रमांक -9 वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 39-40) – आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित प्रकरण में आवेदित वन भूमि के बदले दुगुने क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की लागत राशि जमा करने हेतु वचनवद्ध है, इस आशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक -10 न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 41 से 42) – रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल के ग्राम हाटी के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 551 के आवेदित रकबा 6.823 हे. वन भूमि में 220/132/33 के.व्ही उपकेन्द्र निर्माण कार्य हेतु वन भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रभावित होने वाली वन भूमि के अतिरिक्त अन्य विकल्प नहीं होने का आवेदक एवं वन मंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक -11 पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 43 से 44) – प्रकरण में पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का आवेदक एवं वन मंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक -12 वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र-अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 45 से 58) – प्रस्तावित क्षेत्र पर मिश्रित प्रजाति के कुल 189 वृक्ष मौजूद हैं। बिन्दु अनुसार वृक्ष गणना फार्म 1(a) एवं 1(b) में कुल वृक्षों की संख्या एवं आयतन का विवरण दिया गया है तथा मार्किंग बुक की छाया प्रति भी प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

बिन्दु क्रमांक -13 कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 59 एवं 66 तक) – प्रकरण में प्रभावित वन एवं राजस्व वन भूमि का क्षेत्रफल 20 हे. से कम होने के कारण लागू नहीं है।

बिन्दु क्रमांक -14 चयनित गैर वनक्षेत्र /निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) (प्रस्ताव पृष्ठ 67 एवं 68 तक) – वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत इस योजना में प्रस्तावित ग्राम हाटी के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 551 के आवेदित रकबा 6.823 हे. वन भूमि है। अतः योजना अंतर्गत किसी प्रकार का गैर वन क्षेत्र / निजी भूमि प्रस्तावित नहीं है।

बिन्दु क्रमांक -15 गैर वनक्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 69 से 71 तक) – प्रस्तावित परियोजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण धरमजयगढ़ वन मंडल के परिक्षेत्र छाल के नारंगी वन खण्ड भुंडीबहरी ख.नं. 124/2/क/1 में 8.00 हे. एवं नारंगी वन खण्ड पुरुंगा खसरा नंबर 461/1/क में 6.00 हे. में प्रस्तावित होने के कारण गैर वनक्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा आवश्यक नहीं है।

बिन्दु क्रमांक -16 स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 72 से 135) – रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल के ग्राम हाटी के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 551 के आवेदित रकबा 6.823 हे. वन भूमि के एवज में धरमजयगढ़ वन मंडल के परिक्षेत्र छाल के नारंगी वन खण्ड भुंडीबहरी ख.नं. 124/2/क/1 में 8.00 हे. एवं नारंगी वन खण्ड पुरुंगा खसरा नंबर 461/1/क में 6.00 हे. कुल 14.00 हे. में 10 वर्षीय वृक्षारोपण योजना मय उपचार मानचित्र रिपोर्ट सहित प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

बिन्दु क्रमांक -17 वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 136 से 138) – रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल के ग्राम हाटी के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 551 के आवेदित रकबा 6.823 हे. वन भूमि के एवज में धरमजयगढ़ वन मंडल के परिक्षेत्र छाल के नारंगी वन खण्ड भुंडीबहरी ख.नं. 124/2/क/1 में 8.00 हे. एवं नारंगी वन खण्ड पुरुंगा खसरा नंबर 461/1/क में 6.00 हे. कुल 14.00 हे. क्षेत्र का चयन किया गया है जो परिक्षेत्र अधिकारी छाल, उप वन मंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ एवं वन मंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ द्वारा की गई संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार वृक्षारोपण हेतु सर्वथा उपयुक्त है एवं कार्य आयोजना प्रबंधन में शामिल नहीं है जिसका उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक -18 अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 139 से 140) – प्रस्तावित प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक -19 अधिनियम उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 141 एवं 142 तक) – प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं होने के कारण विवरण निरंक है।

बिन्दु क्रमांक –20 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 143 एवं 144 तक) –प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं होने के कारण किसी भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अधिनियम उल्लंघन की प्रस्तावित कार्यवाही निरंक है।

बिन्दु क्रमांक –21 वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 145 से 146 तक) – प्रकरण में धरमजयगढ़ वन मंडल के परिक्षेत्र छाल के नारंगी वन खण्ड भुंडीबहरी ख. नं. 124/2/क/1 में 8.00 हे. एवं नारंगी वन खण्ड पुरुंगा खसरा नंबर 461/1/क में 6.00 हे. कुल 14.00 हे. क्षेत्र का चयन किया गया है। अतः गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्रमांक –22 कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 147 एवं 148 तक) – प्रस्तावित प्रकरण विद्युत उपकेन्द्र निर्माण से संबंधित होने के कारण कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्रमांक –23 रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 149 एवं 150 तक) – प्रस्तावित प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन निर्माण से संबंधित होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्रमांक –24 माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 151 एवं 152 तक) – प्रस्तावित प्रकरण विद्युत उपकेन्द्र निर्माण से संबंधित होने के कारण आई.बी.एम. नागपुर से माईनिंग प्लान अनुमोदित कराने की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्रमांक –25 व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 153 एवं 154 तक) – प्रस्तावित प्रकरण विद्युत उपकेन्द्र निर्माण में प्रभावित वन भूमि में किसी भी प्रकार का व्यवस्थापन नहीं किया गया है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्रमांक –26 वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 155 से 164) – प्रस्तावित 6.823 हे. संरक्षित वन भूमि के लिए वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ का प्रतिवेदन (प्रपत्र III एवं भाग 2) एवं मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का प्रतिवेदन (भाग-3) संलग्न है। निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आवेदित वन भूमि का वन घनत्व 0.4 है तथा प्रस्तावित क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के 189 नग वृक्ष विद्यमान है। दिनांक 10.10.2022 को भौतिक निरीक्षण के आधार पर वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ ने आवेदित क्षेत्र पर गैर वानिकी प्रयोजन में देने की अनुशंसा की है। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर ने वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ के सुझाव पर सहमति व्यक्त करते दिनांक 14.11.2022 से व्यपवर्तन प्रस्ताव की अनुशंसा की है।

बिन्दु क्रमांक –27 ऐतिहासिक स्थल प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 165 एवं 166) – प्रस्तावित विद्युत उपकेन्द्र हेतु आवेदित वन भूमि के अन्तर्गत कोई भी ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के ईमारत/स्मारक या भवन नहीं होने का वन मंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ का हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक –28 संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 167 से 170) – प्रस्तावित परियोजना रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल के ग्राम हाटी के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 551 के आवेदित रकबा 6.823 हे. वन भूमि में 220/132/33 के.व्ही उपकेन्द्र निर्माण कार्य हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक –29 जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे.में) (प्रस्ताव पृष्ठ 171 एवं 172) – रायगढ़ जिले में वन क्षेत्र का विवरण प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। विवरण अनुसार रायगढ़ एवं धरमजयगढ़ वन मंडल की कुल वन भूमि 244804 हे. है।

बिन्दु क्रमांक -30 व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा है.में. (प्रस्ताव पृष्ठ 173 एवं 174) – वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित वन भूमि कुल रकबा 419.433 हे. है।

बिन्दु क्रमांक -31 व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा है.मे (प्रस्ताव पृष्ठ 175 एवं 176) – रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तित वन भूमि का रकबा निरंक है।

बिन्दु क्रमांक -32 प्रस्तावित क्षेत्र को 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 177 एवं 178) – प्रस्तावित प्रकरण विद्युत लाईन निर्माण के अर्न्तगत 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित /प्रस्तावित नहीं है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ एवं आवेदक का हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक -33 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेत प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 179 एवं 180) – प्रस्तावित परियोजना खनन प्रकरण नहीं होने से आवश्यक नहीं है।

बिन्दु क्रमांक -34 वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 181 से 186) – वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधी कलेक्टर रायगढ़ का प्रमाण पत्र दिनांक 16.02.2022 मय एनेक्चर-1 एवं प्रदर्श-स की छाया प्रति संलग्न है। प्रमाण पत्र अनुसार वन अधिकार धारको की संख्या निरंक है। प्रस्ताव के साथ ग्राम पंचायत हाटी का कार्यवाही विवरण दिनांक 20.07.2021 एवं खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति धरमजयगढ़ का कार्यवाही विवरण दिनांक 22.11.2021 भी संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक -35 राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 187 से 188) – प्रस्तावित विद्युत उपकेन्द्र निर्माण के लिए 6.823 हे. संरक्षित वनभूमि है। अतः राजस्व वनभूमि हेतु कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्रमांक -36 माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 189 से 190) – निर्देशानुसार शुद्ध प्रत्याशा मूल्य जमा करने का आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है जो प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक -37 Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 191 से 192) – वन भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव से संबंधित भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात जो भी राशि शर्त अनुसार निर्धारित है उसे आवेदक संस्थान से CAMPA निधि में तत्काल जमा कराया जावेगा।

बिन्दु क्रमांक -38 “A detailed note on Soil Productivity or the lack of it” (प्रस्ताव पृष्ठ 193 एवं 194) – आवेदित वनभूमि में भूमि की दशा प्राकृतिक प्रायः चिकनी व दोमट मिट्टी है। /

बिन्दु क्रमांक -39 परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 195 से 196) – आवेदित वन भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है। इस आशय का आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक -40 Diversion of large area (more than 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 (प्रस्ताव पृष्ठ 197 एवं 198) – प्रस्तावित प्रकरण 500 हेक्टेयर से कम होने के कारण वोकेशनल ट्रेनिंग संस्थान की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्रमांक -41 पंजीयन क्रमांक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 199 एवं 200) – आवेदक से पंजीयन शुल्क मूल्य 6000/- एवं प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) शुल्क मूल्य 18,000/- कुल मूल्य 24000/- की राशि वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ वन मंडल के पी. डी. खाता में जमा किया गया है।

बिन्दु क्रमांक -42 वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 201 एवं 202) – प्रस्तावित परियोजना में इस बिन्दु की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्रमांक -43 विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 203 एवं 204) – सब स्टेशन का प्रकरण होने के कारण आवश्यक नहीं है।

बिन्दु क्रमांक -44 प्रस्ताव में अन्य कमियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 205) – प्रस्ताव में अन्य कमियां नहीं है।

प्रकरण का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रस्ताव तैयार की गई है। अतः मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर के अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग-4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव 3 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-
1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में मय डीजीपीएस रिपोर्ट
2. भाग-4
3. टाईम लाईन

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)


(सुनील मिश्रा)
अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/ विद्युत/ 479-188/ 2755

रायपुर, दिनांक 29/11/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
2. वनमण्डलाधिकारी, धरमजयगढ़ वन मण्डल, धरमजयगढ़।
3. कार्यपालन अभियंता (सिविल), संभाग छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. रायगढ़, छ.ग.।


अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़